

GA-7  
1.2.13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ....of 2013

Nisha Kumari and others .....Petitioners.

**Versus**

The Union of India and Others .....Respondents.

Subject: - Others, School Service Matter.

I N D E X

SL. No.	Particulars	pages
1.	An application Under Article 226 of the Constitution of India.	01-31
2.	<u>Annexure- 1.</u> A photo copy of the scheme in this regard.	32-37
3.	<u>Annexure- 2.</u> A photo copy of the relevant documents as regarding the appointment of the petitioner no. 1.	38-39
4.	<u>Annexure- 3</u> A photo copy of the certificate of awarded in connection with training.	40-41

## B

5.	<u>Annexure- 4.</u> A photo copy of the representative experience certificate.	42-43
6.	<u>Annexure- 5 Series.</u> A photo copy of the representation dated 11.09.2012 submitted before the Chief Minister.	44-47
7.	<u>Annexure- 6.</u> A photo copy of the letter dated 16.05.2012.	48-50
8.	<u>Annexure- 7 and 8.</u> Photo copies of the letters dated 12.09.2012 and 19.09.2012.	51-57
9.	<u>Annexure- 9 Series.</u> Photo copies of the letter dated 20.09.2012, 26.09.2012 and 15.10.2012.	58-64
10	<u>Vakalatnama.</u>	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. ....of 2013

Nisha Kumari and others .....Petitioners.

**Versus**

The Union of India and Others .....Respondents.

**S Y N O P S I S**

That through this writ application the petitioners pray for the following reliefs:-

- (a) Issuance of an appropriate writ / writs in the nature of certiorari for quashing the letter no. 4786 dated 19.09.2012 issued by the respondent Bihar Education Project Council, through its Director (as contained in Annexure- 8) by which the respondents have intimated all the Districts Education Officers or this state that with effect

## II

from 01.12.2012 the Bal Barg Centres could not be run nor any Bal Barg Didis / As RGS could be functional w.e.f. the same date and it is further directed that the children in the Bal Barg Centers could be placed in the Angan Bari Centres.

It is also prayed for quashing the subsequential order passed if any in the light of aforesaid order.

- (b) Issuance of an appropriate writ/s in the nature of mandamus commanding the respondents to regularize the service of all Bal Barg Didis / ASRGS in the various Centers of the state in regular service of the state if for any reason a final decision is taken to close the Centers the Bal Barg

### III

Didis / ASRGS are working since quite some time and therefore this should not be put out of jobs they have been performing since the last several years.

- (c) Issuance of any other appropriate writ(s), order(s), direction(s) as may be deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

#### Relevant Dates of Events

16.05.2012	A copy of letter dated 16.05.2012
11.09.2012 ANNEXURE-5	Representation submitted before Chief Minister.
12.09.2012 ANNEXURE-7	Letter dated 12.09.2012 of the department concerned.
19.09.2012 ANNEXURE-8	Letter dated 19.09.2012 of the department concerned.
20.09.2012 ANNEXURE-9 SERIES	Letter dated 20.09.2012 of the department concerned.

IV

26.09.2012 ANNEXURE- 9 SERIES	Letter dated 26.09.2012 of the department concerned.
15.10.2012 ANNEXURE- 9 SERIES.	Letter dated 15.10.2012 of the department concerned.

Hence the this writ application.

282  
GOVT. OF BIHAR  
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT  
PATNA SCORE PATNA

COURT FEE

30/11/13 HGI/  
Authorization No. 2674



STAMP DUTY

00000

Rs. ≈ 0000285 ≈ 30. 1. 2013

375448

BIHAR

••Zero•Zero•Zero•Zero•Two•EightFive••

2557 678549

**IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA  
(CIVIL WRIT JURISDICTION)**

C.W.J.C. No. .....of 2013

In the matter of an  
application Under  
Article 226 of the  
Constitution of India.

**And**

In the matter of;

1. Nisha Kumari, Wife of Shri Raman Prasad  
Yadav, Resident of Village- Ram Nagar,  
Police Station and Block- Ghailadh,  
District- Madhepura.
2. Punam Kumari, Wife of Shri Sunil Kumar  
Sah, Resident of Village- Belokhari,  
Police Station- Ghailadh, District-  
Madhepura.

3. Suman Devi, Wife of Shri Dinesh Yadav,  
Resident of Village- Rariyaha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
4. Priyanka Kumari, Wife of Shri Mithilesh  
Kumar, Resident of Village- Bhon, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
5. Babita Kumari, Wife of Shri Brajesh Kumar,  
Resident of Village- Hariraha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
6. Anju Kumari, Wife of Parshuram Yadav,  
Resident of Village- Ratanpura, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
7. Suchita Kumari, Wife of Shri Dhruv Kumar,  
Resident of Village- Ratanpura, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
8. Punam Kumari, Wife of Shri Surendra Ram,  
Resident of Village- Piprahi, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
9. Rekha Kumari, Wife of Birendra Sah,  
Resident of Village- Ithari, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.



10. Indu Kumari, Wife of Shri Mahesh Kumar,  
Resident of Village- Ithari, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
11. Nutan Kumari, Wife of Shri Manoj Kumar *Suman*,  
Resident of Village- Bancholha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
12. Hira Kumari, Wife of Shri Shiv Narayan  
Mandal, Resident of Village- Tekhti,  
Police Station- Ghailadh, District-  
Madhepura.
13. Rekha Devi, Wife of Shri Amrendra Yadav,  
Resident of Village- Ghopa, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
14. Jyotsina Kumari, Wife of Shri Manoj Kumar,  
Resident of Village- Parmanpur, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
15. Kumari Renuka, Wife of Shri Gajendra  
Mehta, Resident of Village- Dhruvpatti,  
Police Station- Ghailadh, District-  
Madhepura.

16. Sulochna Kumari, Wife of Shri Ajay Kumar,  
Resident of Village- Parmanpur, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
17. Kiran Kumari, Wife of Shri Santosh Kumar,  
Resident of Village- Pathraha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
18. Anita Kumari, Wife of Shri Santosh Kumar,  
Resident of Village- Pathraha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
19. Chandrika Kumari, Wife of Shri Shyam  
Sundar Rishideo, Resident of Village-  
Parmanpur, Police Station- Ghailadh,  
District- Madhepura.
20. Kanchan Kumari, Wife of Sanjay Kumar,  
Resident of Village- Baluaha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
21. Kumari Renu, Wife of Shri Bidyanand Yadav,  
Resident of Village- Bhatrandha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.

22. Rupa Kumari, Wife of Shri Suresh Yadav,  
Resident of Village- Pathraha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
23. Nilam Kumari, Wife of Shri Sadan Sah,  
Resident of Village- Basudeva, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
24. Juli Kumari, Wife of Shri Sanjiv Kumar  
Singh, Resident of Village- Arraha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
25. Nilam Kumari, Wife of Late Randhir Kumar,  
Resident of Village- Kamalpur, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
26. Vibha Kumari, Wife of Shri Shailendra Kumar  
Kumar, Resident of Village- Basudeva,  
Police Station- Ghailadh, District-  
Madhepura.
27. Sultana Begam, Wife of Md. Mustafa Alam,  
Resident of Village- Laxmania, Police  
Station and Block- Ghailadh, District-  
Madhepura.

28. Lata Kumari, Wife of Shri Bijay Yadav,  
Resident of Village- Bardaha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
29. Kumari Usha, Wife of Shri Biredra Yadav,  
Resident of Village- Pathraha, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
30. Sulekha Kumari, Wife of Shri Barun Yadav,  
Resident of Village- Bhon, Police Station-  
Ghailadh, District- Madhepura.
- ~~31. Anju Kumari, Wife of Shri Parsuram Yadav,  
Resident of Village- Ratanpura, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.~~
31. Prabha Bharti, Wife of Shri Sujit Kumar,  
Resident of Village- Kamalpur, Police  
Station- Ghailadh, District- Madhepura.
32. Chanda Kumari, Wife of Shri Biredra  
Kanti, Resident of Village- Goth Bardaha,  
Police Station- Ghailadh, District-  
Madhepura.

33. Kiran Kumari, Wife of Sanjay Kumar,  
Resident of Village and Police Station-  
Kumarkhand, District- Madhepura.
34. Nilam Devi, Wife of Jagannath Yadav,  
Resident of Village- Hariraha, Police  
Station- Shankarpur, Block- Kumarkhand,  
District- Madhepura.
35. Sita Kumari, Wife of Shri Ravindra Kumar,  
Resident of Village- Raibhir, Police  
Station- Shankarpur, Block- Kumarkhand,  
District- Madhepura.

**..Petitioners.**

**Versus**

1. The Union of India, through the  
Secretary, Human Resources Development  
Department (H.R.D.D.), Government of  
India, New Delhi.
2. The State of Bihar, through the Principal  
Secretary, Department of Human Resources  
Development Department, Government of  
Bihar, Patna.

3. Bihar Education Project Council, Shiksha Bhawan, Rastra Bhasha Parisar, Saidpur, Rajendra Nagar, Patna- 800004 through its State Project Director.
4. The State Project Director, Bihar Education Project Council, Shiksha Bhawan, Rastra Bhasha Parisar, Saidpur, Rajendra Nagar, Patna- 800004.
5. The Collector-cum-District Magistrate, Madhepura.
6. The District Programme Coordinator / Convener, Madhepura.
7. The District Education Officer, Madhepura.
8. The Block Education Extension Officer, Gailadh, Police Station and Block-Ghailadh, District- Madhepura.
9. The Block Education Extension Officer, Kumarkhand, Police Station and Block-Kumarkhand, District- Madhepura.

10. The Block Education Extension Officer,  
Shankarpur, Police Station and Block-  
Shankarpur, District- Madhepura.

**..Respondents.**

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M.  
Doshit, the Chief Justice of the High  
Court of Judicature at Patna and her  
Companion Justices of the said Hon'ble  
Court.

The humble petition on  
behalf of the above  
named petitioners;

**MOST RESPECTFULLY SHEWETH:**

1. That through this writ application the  
petitioners pray for the following  
reliefs:-

(i) Issuance of an appropriate writ /  
writs in the nature of certiorari  
for quashing the letter no. 4786  
dated 19.09.2012 issued by the

respondent Bihar Education Project Council, through its Director (as contained in Annexure- 8) by which the respondents have intimated all the Districts Education Officers of this state that with effect from 01.12.2012 the Bal Barg Centres could not be run nor any Bal Barg Didis / As RGS could be functional w.e.f. the same date and it is further directed that the children in the Bal Barg Centers could be placed in the Anganbari Centres.

It is also prayed for quashing the subsequential order passed, if any, in the light of aforesaid order.

- (ii) Issuance of an appropriate writ/s in the nature of mandamus commanding the respondents to



1  
2  
3

4

regularize the service of all Bal Barg Didis / ASRGS in the various Centers of the State in regular service of the State if for any reason a final decision is taken to close the Centers the Bal Barg Didis / ASRGS are working since quite some time and therefore this should not be put out of jobs they have been performing since the last several years.

(iii) Issuance of any other appropriate writ(s), order(s), direction(s) as may be deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

2. That the main grounds on which the aforementioned reliefs are prayed for are as below:-

(a) Whether the Bal Barg Didis / ASRGS the respondents can be permitted

to remove the Bal Barg Didis / ASRGS from their posts on which they have been working satisfactorily since the last several years without any complaints / adverse remarks against them.

(b) Whether the fact that the respondents have the necessity of hands for managing and continuing with the centres, though in different form and name, can disentitle the petitioners and other Bal Barg Didis / ASRGS from claiming their services to be regularized in view of such necessity by respondents.

(c) Whether the respondents can be permitted to adopt the policy of pick and choose in the nature of allowing some centre though in different names to remain functional and operational and to

completely close / shut down the centers where the Bal Barg Didis / ASGRS area functioning.

(d) Whether, aphorism and short term measures in various government works / functions are permissible when the government needs, hands / feds the necessity for hands on permanent basis for its various works / functions.

(e) Whether the order under challenge in the present writ petition is based on the wrong facts ad the wrong interpretation of the law including the non observance to the requirement of the natural justice?

(f) Whether the authorities have failed to appreciate that the rights conferred under Article 311 (2) of the constitution, did not

permit for a major punishment without providing the adequate opportunity of hearing even the show-cause?

(g) Whether the action of the respondent authorities are otherwise bad in law and facts and as such demand of the law requires the interference with extend to the setting aside the order under challenge in the present writ petition and her reinstatement in service?

(h) Whether the action of the respondent authorities are malafide, arbitrary, without jurisdiction as well as power and authority due to the wrong and the ulterior motive?

3. That the petitioners are citizen of India and they are residing within the territorial jurisdiction of this Hon'ble

Court and they have been still working in the different schools in district Madhepura on the posts of BAL BARG DIDI.

4. That under the ambitious Sarv Shiksha Abhiyan mooted by the Government of India, various educational projects were started in the states mainly for basic education and educational developments of the under privileged and deprived sections of the society in the age group of 6-14 years and under which apart from the educational development of such people their all-round development was also comprehensively contemplated and with this aim Bal Barg Centers were decided to be opened in various places in all states. The emphasis was laid on putting all children above 6 years in schools and for making them able to attend schools the Bal Barg Centers were cost with duties for making necessary preparation and

creating atmospheres conducive to education / schooling of such children. The Bal Barg Centers were decided to be managed by Bal Didis and every Bloc was to have one or two Academic Support Resources Group (ASRGS).

The Scheme further provided for elementary childhood education CECE for the children in the age group of 3 to 6 years in pre-primary classes.

The centers were decided to be run in the premises of schools and the Bal Barg Didis were to be selected in supervision of the concerned Vidyalaya Shiksha Samiti that their minimum qualifications were prescribed to be matriculate. But the honorarium payable to them was kept on very low side that is the meager amount Rs. 500/-. The other details of the scheme would be elaborated at the time of hearing of the matter.

A photo copy of the scheme in this regard is being annexed herewith and marked as Annexure- 1 of the writ application.

5. That under this scheme the respondents opened the Bal Barg Centers at various places and appointed Bal Barg Didis for running these centers and in each Block one / two ASRGS were also appointed.
6. That petitioners have required qualification for selecting on the post of BAL. DIDI and all the them have passed matriculation examination and some of them have got higher qualification also.
7. That petitioners 1 to 32 have been appointed on the posts of Bal Barg Didi at different Schools / Centers under Block- Ghailadh in district- Madhepura on 01.10.2006 and thereafter and they have



joined on their respective posts accordingly and all of them have been still working on the said posts of Bal Didi for the satisfaction of all concerned.

That as far as petitioner no. **33** and **34** are concerned, they have been appointed on 02.04.2007 and thereafter they have joined on 19.04.2007 in Middle School Kumar Khand and Primary School Hariraha respectively under Block-Kumarkhand and petitioner no. **35** is concerned she has been appointed and joined as a post of Bal Barg Didi in Primary School Raibhir Chapariya Tola, Block- Shankarpur and she has also completed her 15<sup>th</sup> day residential training course from 30.07.2004 to 14.08.2004 and 4<sup>th</sup> day residential training course from 14.10.2006 to 18.10.2006 respectively and said training

certificates has already been obtained by her.

8. That petitioner no. 1 namely Nisha Kumari is Block President of Bal Barg Didi under Block- Ghailadh in District- Madhepura and she along with other petitioners were appointed on the post of Bal Barg Didi / ASRGS in different centers under district Madhepura that documents of one of the petitioners as regarding the appointment is submitted as representative document / letter and similar letters were issued to other petitioners which can be produced if required.

A photo copy of the relevant documents as regarding the appointment of the petitioner no. 1 is being annexed herewith and marked as

Annexure- 2 of the writ application.

9. That the petitioners and other such appointees were also sent for training from time to time which is representative one and others were also issued such certificates which can be produced if required.

A photo copy of the certificate of awarded in connection with training is being annexed herewith and marked as Annexure- 3 of the writ application.

10. That the petitioners were such Bal Barg Didis / ASRGS were also issued experience certificates for the works rendered by them from time to time.

A photo copy of the representative experience certificate is being annexed herewith and marked as Annexure- 4 of the writ application.

11. That while the petitioners have been working and performing their duties of Bal Barg Didis / ASRGS as stated above even though on paltry honorarium of Rs. 500/- per month and the respondents have been taking government works from them and the petitioners and other such appointees perform their duties works with all sincerity without hitch / hesitation for the nature of work or the meager they consider it to be duty towards societies they have been associated connected with imparting of education still the respondents instead

of regularizing the services of such Bal Barg Didis and ASRGS have taken decision of discontinuing their services.

12. That the respondents have recently also taken a decision of enhancing the honorarium of the Bal Barg Didis / ASRGS with effect from 01.04.2012. The honorarium of Bal Barg Didis has been made Rs. 3,000/- per month and that of the ASRGS Rs. 3,500/- per month.
13. That the petitioners representative body on coming to know of such government decision of winding up the centres bundling out the appointees, submitted its representation dated 11.09.2012 to various representatives and the said representation also contained a list of grievances and genuine demands of Bal Barg Didis and ASRGS which include their regularization enhancement of honorarium provision of leave, regular payment of

honorarium through Bank Provision for food to children and other such necessary requirements.

A photo copy of the representation dated 11.09.2012 submitted before the Chief Minister is being annexed herewith and marked as Annexure- 5 Series of the writ application.

14. That while several representations were pending consideration the authorities at the district level, meanwhile letter no. 228 dated 16.05.2012 was issued for transfer the honorarium of the petitioners in their respective accounts.

A photo copy of the letter dated 16.05.2012 is being

annexed herewith and  
marked as Annexure- 6  
of the writ applica-  
tion.

15. That, soon thereafter, the respondent Bihar Education Project Council issued letters dated 12.09.2012 and 1.09.2012 to all the District Authorities intimating that the state level meet of the District in-charges had taken place and there decision was being communicated through letter dated 12.09.2012. Referring to this letter the respondent council further issued its letter 19.09.2012 to the District Authorities intimating them that the Project Approved Board CPAB and decided to close down the Bal Barg Centers and not to run then from 01.12.2012 and more so because the Aanganbadi Centers were already working, and to disengage the Bal Barg Didis /

ASRGS from 01.12.2012 and to ensure payment of their honorarium up to 30.11.2012 and to ensure admission of the children of Bal Barg Centers in nearby Anganbadi Centres.

Photo copies of the letters dated 12.09.2012 and 19.09.2012 are being annexed herewith and marked as Annexure- 7 and 8 respectively of the writ application.

16. That soon through its letter dated 20.09.2012, the petitioners and their leader sent representations to various authorities renewing their grievances and demands and letter was also sent through fax.

Photo copies of the letter dated



20.09.2012, 26.09.2012  
and 15.10.2012 are  
being annexed herewith  
and marked as  
**Annexure- 9 Series** of  
the writ application.

17. That, it is stated and submitted that the petitioners and other such Bal Barg Didis / ASRGS have been performing their duties most sincerely and honestly for amelioration and betterment of the children of the society without considering the money aspect which they were being meagerly paid and still the respondents have given a blow to their hopes and aspirations. Instead of regularizing their services and enhancing the honorarium, the respondents have unfortunately decided to close down the scheme and bundle out the Bal Barg Didis / ASRGS.

18. That That it is stated and submitted that under similar circumstances incase of many other schemes the persons working under it were regularized in government services and they have been performing their duties with whole sincerity and demotion.
19. That, it is further started and submitted that the government own actions depict and confirm that the government needs hands / has the necessity of hands for its scheme of Bal Barg and still to disengaged the petitioners and other it has decided to close the scheme itself which is totally arbitrary and colored exercise of power.
20. That it is stated and submitted that the respondents should be appropriately directed to continue with the scheme as the object of the scheme has not yet been

fulfilled not the Aanganbari Centers can substitute the Bal Barg Centres.

21. That in any view of the matter the petitioners are entitled to the reliefs prayed for.
22. That the petitioners have no other alternative and equally efficacious remedy except moving this Hon'ble Court on its jurisdiction.
23. That That the petitioners have not earlier moved before this Hon'ble Court for the relief they seek through this petition.
24. That on the one hand the government and its agencies / instrumentalities speak concern empowerment yet on the other hand they were by the impugned actions of deciding to disengage the petitioners and others only reducing women empowerment and forcing them to attain zero level. This is ridiculous. This is against the

announced / accepted policy. This is having political orientation. Thus such impugned action is fit to be quashed.

25. That it is also relevant to stated that the many of the Bal Didis / ASRGS have become average for any future employment in government jobs.

26. That it is also stated that on the one hand the government has emphasized on the proper representation and huge reservation for women and on the other hand they are being retrenched from their services and forcing them to live under starvation.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to issued Rule NISI upon the respondents asking them to show- cause as to why the relief as prayed for in paragraph- 1 above be not

granted and upon return of the rule to make it absolute against the respondents and to grant the reliefs prayed for.

**And**

It is further prayed that during the pendency of this application, the respondents be restrained from disturbing the petitioners from their posts and should be directed to continue with the services of the petitioners until further orders.

**And / Or**

Pass such other order / orders as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of this case.

**And for this the petitioners shall ever pray.**

Affidavit

I, Nisha Kumari, aged about 28 years, Wife of Shri Raman Prasad Yadav, Resident of Village-Ram Nagar, Police Station and Block- Ghailadh, District- Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am petitioner no. 1 in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this application have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood.
3. That the statements contained in paragraph nos. 3, 5 to 7, 9, 11, 12, 17 to 22 and 23 are true to my knowledge, those contained in paragraph nos. 4, 8, 10, 13 to 15 and 16 are true to my information and rest are by way of submissions before this Hon'ble Court.
4. That the annexures are true / photo copies of their respective originals.

निशा कुमारी

### बालवर्ग -1

#### बालवर्ग

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कम तुम्हाय को सहभागिता से प्रारंभिक शिक्षा का सर्वव्यापकता लाने 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन, शत-प्रतिशत तह्राय एवं गुणवत्त शिक्षा सुनिश्चित करने हे। इसके लिए यह आवश्यक है कि 6 वर्ष की आयु पूरी होने के पूर्व ही उन बच्चों को विद्यालय जाने से संबंधित आवश्यक तैयारी एवं विद्यालय अनुष्ठान के लिए यथोचित वातावरण सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य हेतु गिन क्षेत्रों में समीक्षित बाल विकास या अन्य कोई पूर्व बालवन शिक्षा/इए तोपईए/ कार्यक्रम नहीं चल रहा है, वहाँ प्रारंभिक बालवन शिक्षा प्रदान करने हेतु। से 6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए बालवर्ग प्रो प्राईमरी स्तरीय/ स्थापित किए जाने को योजना है।

बालवर्ग उस पुरांड जायेगी जहाँ मीक्षा साक्षरता दर कम होगी। यह विद्यालय परिसर से संघालित होगी। संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति की देख रेख में कीदी का धयन होगा। कीदी की योग्यता कम से कम मीट्रिक होनी धाई है। विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा उन्हें 500/- रुपये प्रति माह मानस्य के रूप में दिया जाएगा।

स्थान विशेष पर उपलब्ध कीदी समूह/मीक्षा समास्था, माता समिति, युवा कार्यक्रम समूह, अन्य कोई मीक्षा समूह, स्थानोय स्वयं सेवी संस्था/ को

आरंभिक बाल्यन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कार्यक्रम से जोड़ने हेतु उनका उन्मुखीकरण ग्राम पंचायत/ विद्यालय शिक्षा समिति/ जन प्रतिनिधियों के साथ किया जाएगा।

### पाठ्यपुस्तक वितरण

समाज के अभिषिक्त वर्गों यथा -अनु० जाति, अनु० जनजाति एवं सभी वर्गों को बालिकाओं के लिए पाठ्यपुस्तक का निःशुल्क वितरण किया जाता है। शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 6-11 आयुवर्ग के कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के तहत सभी 6-14 आयुवर्ग के कक्षा 1 से 8 तक के अपरोक्ष अभिषिक्त वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के तहत अन्य वर्गों के बच्चों के लिए पाठ्यपुस्तकों की व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी कीटनाईयां उत्पन्न हो जाती हैं। इस स्थिति से निवृत्त हेतु सभी विद्यालय शिक्षा समितियों एवं शिक्षकों को रणनीति बनाने होगी जिसके तहत बच्चों से पुरानी पाठ्यपुस्तकें संबंधित संबंधित संग्रहित कर विद्यालय पुस्तकालय की स्थापना करनी होगी। इस पुस्तकालय से उन बच्चों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जा सकती है।



02-1



34


*Handwritten signature or mark.*

# पूर्व बालपन शिक्षा

## बालवर्ग मार्गदर्शिका



बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्,  
बेल्द्वान भवन, शास्त्रीनगर, पटना



सब पढ़ें सब बढ़ें

## पूर्व बालपन शिक्षा(ECE)

बच्चा राष्ट्रीय विकास की एक स्वाभाविक प्राथमिकता है। इसीलिए राष्ट्रीय बालनीति (1974) में बच्चों को राष्ट्र की सबसे महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और राष्ट्रीय कार्य-योजना 1992 में "बच्चों की देखभाल और उसकी शिक्षा" पर विशेष ध्यान देने का संकल्प लिया गया।

बाल-जीवन के प्रथम तीन से छः वर्ष विकास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं खासकर 3-6 वर्ष की अवधि और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। इस अवस्था का जुड़ाव सीधे प्रारम्भिक शिक्षा से है क्योंकि प्रारम्भिक शिक्षा की पृष्ठभूमि इसी अवधि में तैयार होती है। बच्चे जब छः वर्ष की आयु पूरी कर प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश पाते हैं, तो वहाँ उनका शत प्रतिशत ठहराव तभी सुनिश्चित हो पाता है जब पूर्व में उन्हें विकास के अवसर और परक वातावरण उपलब्ध हुए हों।

कई अनुसंधान अध्ययन के निष्कर्षों से भी इस वाक्य की पुष्टि होती है कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के ठहराव और उपलब्धि स्तर पर विद्यालय-पूर्व शिक्षा का गहरा प्रभाव पड़ता है। (Study-NCERT 1992, DPEP III-2003)

शिक्षाविद् यह मानते हैं कि यदि छः वर्ष के उम्र तक बच्चों को रंग-रंग-विरंगे खिलौनों से भरा वातावरण मिले तो स्कूल जाने पर बच्चों में सीखने की प्रक्रिया बहुत सहज हो जाती है और वे विद्यालय में अपने आप को आसानी से समायोजित कर पाते हैं।

3-6 आयुवर्ग के बच्चों को रंग-विरंगे खिलौनों से भरपूर अनुकूल वातावरण मिले, साथ-ही-साथ बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो, इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत सभी जिलों में 140 बालवर्ग स्कूल के परिवेश में ही संचालित करने का प्रावधान है।

बालवर्ग के उद्देश्य :-

- 3-6 आयुवर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय जाने के लिए तैयार करना।
- विद्यालय में बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करना।
- बच्चों का खेल-खेल के द्वारा समुचित विकास करना।
- बच्चों के लिए रंग-विरंगे खिलौनों से भरपूर वातावरण सुनिश्चित करना।
- बच्चों में टीकाकरण के कोर्स को सुनिश्चित करना।
- बच्चों में आयु के अनुसार वजन एवं लम्बाई पर ध्यान देना।

बालवर्ग की स्थापना एवं संचालन :-

- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में विद्यालय पूर्व शिक्षा को 'बालवर्ग' के रूप में जाना जाता है।
- जिस प्रखण्ड में महिला साक्षरता दर कम हो।
- जिस प्रखण्ड के 10/प्रान विद्यालय में छीजन दर अधिक हो।
- वैसे 10/प्रान विद्यालय जहाँ विशेष रूप से बालिकाओं की प्रीजन दर अधिक हो।
- जिस प्रखण्ड में 3-6 आयुवर्ग के मुस्लिम एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बच्चों की संख्या अधिक हो।
- बालवर्ग 10/प्रान विद्यालय परिसर में खोले जाएँगे।
- प्रत्येक जिले में मात्र 140 बालवर्ग ही संचालित किये जाने का प्रावधान है।
- प्रत्येक केंद्र में 25-30 बच्चे होंगे।

बालवर्ग का संचालन :-

- बालवर्ग का संचालन 'विद्यालय शिक्षा समिति' द्वारा किया जाना है।
- बालवर्ग का संचालन प्रतिदिन तीन घंटे किया जाना है।
- किसी भी प्रा0/म0 विद्यालय में एक ही बालवर्ग संचालित किया जाएगा।

### बालवर्ग दीदी

- प्रत्येक बालवर्ग में एक दीदी होगी।
- अनु० जा०, जन जा०/मुरेलग/ जिसे समुदाय विशेष में कार्य करेगी उसका अधिक होकर उसी समुदाय की स्थानीय स्तरीय पाठशाला का चयन दीदी का होगा।
- बालवर्ग दीदी को चयन प्रक्रिया में शिक्षक, प्रशिक्षक, नर्सों प्रशिक्षक आदि के समेत सबको प्राथमिकता दी जाएगी।
- दीदी स्थानीय महिला ही होगी।
- दीदी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- दीदी का चयन 'विद्यालय शिक्षा समिति' द्वारा किया जाएगा। VSS द्वारा दीदी का अवधि विस्तार प्रति वर्ष करके उसकी सूचना जिला स्तरीय कार्यालय को देना एवं जिला स्तरीय कार्यालय राज्य स्तरीय कार्यालय को सूचना प्रेषित करेगा।
- बालवर्ग दीदी के कार्य असंतोषजनक होने पर उन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है।
- बालवर्ग दीदी पूर्णतः मातृदेवी एवं बालवर्ग कार्यालयों में होगी।
- बालवर्ग दीदी का प्रशिक्षण आचार्य द्वारा किया जाएगा।
- बालवर्ग दीदी के मानदेय का भुगतान विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।
- दीदी को किसी भी तरह का अवकाश देय नहीं होगा।
- यदि दीदी लगातार एक माह तक बालवर्ग से अनुपस्थित रहती है तो दीदी की सेवा स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

**अनुसूचक-2**

\*\*\*\*\*

**पत्रांक-----**

**प्रेषक: - प्रकृष्ट शिक्षा प्रसार पदाधिकारी  
मधेपुरा (प०)**

**सेवा में,**

**धेसाइ, प्रकृष्ट स्तरीय चयनित बाल शिशु  
मधेपुरा (प०) दिनांक**

**विषय: - बाल वर्ग संघालन के संबंध में।**

**महाशय,**

उपर्युक्त विषयक जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक  
मधेपुरा के पत्रांक-632 दिनांक- 20.09.06 के आदेशानुसार धेसाइ प्रकृष्ट स्तरीय  
स्त चयनित बाल शिशु बालशिशु को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक-  
01.10.06 से अपने - अपने चयनित विद्यालय में बाल वर्ग का संघालन करना  
सुनिश्चित करें। बाल वर्ग का संघालन का समय 7 को पूर्वाह्न से 10.00 को  
पूर्वाह्न तक को होगा। संभाग प्रभारी (बालशिशु) को निर्देश दिया जाता  
है कि वे संबंधित बाल शिशु को मासिक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह को  
जाय तथा बैठक को कार्यवाही से अधीष्टता करें एवं जिला स्तरीय कार्यलय  
को अवगत कराना सुनिश्चित को जाए।

**विश्वनाथभाजन**

**प्रकृष्ट शिक्षा प्रसार पदाधिकारी  
मधेपुरा (प०)**

(29)

2.

आपक-142/मथुरा [पठ] दिनांक- 26.09.06

प्रतिनिधि - लंबीधा बालवर्ष के बाल शोरी सु संबंधित विद्यालय के

प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/ लंबीधा विद्यालय के विद्यालय शिक्षक समिति

के अध्यक्ष/ सचिव को सूचना यह आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

पन्द्रह दिवसीय आवासीय बाल-वर्ग दीदी जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर  
सर्व शिक्षा अभियान, मधेपुरा

**प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमति ..... निशा कुमारी .....  
पिता/पति श्री ..... राम ..... पचायत ..... छीलाढ़ .....  
विद्यालय परिसर ..... प्रा. वि. शमनगर ..... ग्राम ..... शमनगर ..... पो. .... वारुदेवा .....  
प्रखण्ड - घेलाढ़ ने दिनांक 15.12.2005 से दिनांक 30.12.2005 तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत  
बाल-वर्ग दीदी का पन्द्रह दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण मधेपुरा महाविद्यालय मधेपुरा में नियमित  
प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण में इनका आचरण ..... रहा।

Renukumari  
30.12.05

ई० सी० ई० प्रशिक्षण प्रभारी

सर्व शिक्षा अभियान  
मधेपुरा

जिला शिक्षा अधीक्षक


सह

जिला कार्यक्रम समन्वयक  
सर्व शिक्षा अभियान  
मधेपुरा





-पञ्चांगित्त किया जाता है कि  
 श्रीमति - किरण कुमारी पति - रंजय कुमार  
 ने काल कर्ग की के रूप में दिनांक  
 19-04-2007 से दिनांक 30-11-2012  
 तक नियमित रूप से काल कर्ग  
 रचना का कार्य करती रही है।  
 इनका कार्य रंजय कुमार से।  
 मैं इनके उज्ज्वल परिवार की कामना  
 करता हूँ।

  
 05/12/12  
 प्रबन्धक  
 निदेशक एवं विकास  
 कुशासन (अधिपुत्र)

सेवा में,  
 प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति निशा कुमारी  
 पति श्री रामण यादव ग्राम - रामनगर पोस्ट - बासुदेवा  
 प्रखण्ड - बेंलाड़, जिला - मधेपुरा (विहार) का  
 निवासी हैं। निशा कुमारी अल्कीय गवर्नर विद्यालय  
 रामनगर में 01/10/2006 से 30/11/2009 तक शिक्षिका  
 के सभी कार्य दिवस में उपस्थित रही। इस अवधि  
 में वर्ग का संचालन निशा कुमारी द्वारा सफलतापूर्वक  
 किया गया है। इनकी कार्य प्रदर्शनी अच्छी है।  
 आभार अर्पित है।

रंजन कुमार नम बम  
 16-01-13  
 प्रधानाध्यापक  
 ६० मध्य वि० रामनगर  
 बेंलाड़ (मधेपुरा)

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक (बेली रोड हॉल्ट के नजदीक)

पटना - 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्याक्ष

पी० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक- 62

दिनांक- 11.9.12

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,

बिहार, पटना।

विषय:- बाल वर्ग दीदी संघ द्वारा 25 सितम्बर 2012 से अनिश्चित कालीन आमरण अनशन करने की सूचना के संबंध में।

महाशय,

सविनय कहना है कि बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ अपने सदस्यों की सेवा स्थायी करने समेत संलग्न माँग पत्र के आलोक में सरकार से लगातार पत्राचार ज्ञापन एवं शिष्टमंडल वार्ता लोकतांत्रिक के माध्यम से अवगत कराते रहे है। परन्तु कोई ठोस फलाफल नहीं हुआ है। बल्कि सेवा सुविधा मिलने के वजाय सेवा से हटाये जाने जैसी माननीय शिक्षामंत्री की बयान बाजी का कोपभाजन बन रही है। विभागीय पदाधिकारी उस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। इस हेतु राज्य संघ अपने माँगों की पूर्ति हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से 06 सितम्बर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। परन्तु नतीजा सामने नहीं आया। जिस

11.9.12  
मुख्य मंत्री  
बिहार, पटना

45

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक (बेली रोड हॉल्ट के नजदीक)

पटना - 800023

**रेखा कुमारी**

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक-

दिनांक.....

कारण संघ राज्य व्यापी आन्दोलन करने को बाध्य है। 24 सितम्बर 2012 तक सरकार राज्य के बाल वर्ग दीदी एवं ASRG की माँगों को पुरा नहीं करेगी तो 25 सितम्बर 2012 को राज्य संघ प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अनिश्चित कालीन आमरण अनशन पर बैठ जायेगी। जिसकी सारी जबाबदेही सरकार की होगी।

अतः सादर अनुरोध है कि ससमय संलग्न माँग पत्र पुर्ण करने की कृपा प्रदान की जाय।

कार्यक्रम:-

25 सितम्बर 2012 को 12.30 बजे दिन में गाँधी मैदान पटना से प्रदर्शन निकल कर मुख्यमंत्री के समक्ष अनिश्चित कालीन आमरण अनशन करेगी।

विश्वासभाजन

रेखा कुमारी



46

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक (बेली रोड हॉल्ट के नजदीक)

पटना - 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक-

दिनांक.....

## माँग-पत्र

1. बाल वर्ग एवं A.S.R.G. की सेवा स्थायी की जाय।
2. मानदेय की बढ़ोत्तरी कर सम्मानजनक वेतन दी जाय।
3. आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश एवं मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाय।
4. सेवा विस्तार की अवधि को बढ़ाया जाय।
5. मासिक भुगतान नियमित एवं बैंक खाते के द्वारा की जाय।
6. बाल वर्ग के बच्चों को भी पोषाहार दी जाय।
7. बाल वर्ग की दीदी की सेवा कालीन प्रशिक्षण दी जाय।

(रेखा कुमारी)

प्रदेश अध्यक्ष

बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

## कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा

(शाखा : सर्व शिक्षा अभियान)

कार्यालय आदेश

मधेपुरा जिला में संचालित बाल वर्ग केन्द्र प्रखंड घैलाढ़, शंकरपुर, कुमारखंड तथा आलमनगर के संबंधित बाल वर्ग टीडी को वर्ष 2012-13 का मानदेय दिया जाना है।

अतः संबंधित विद्यालय के सभी प्रधानाध्यापक को आदेश दिया जाता है कि अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा पासबुक का छयाप्रति दिनांक 06.10.2012 तक निश्चित रूप से अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। ताकि स-समय बाल केन्द्र टीडी को मानदेय दिया जा सके।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
मधेपुरा।

झापांक... 601... / मधेपुरा, दिनांक... 06.10.2012

प्रतिलिपि : संबंधित ASRG जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रा० शि० एवं सर्व शिक्षा अभियान,  
मधेपुरा।

## कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना, मधेपुरा

पत्रांक...228/

प्रेषक: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
लेखा योजना, मधेपुरा ।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक  
केनरा बैंक, मधेपुरा ।


मधेपुरा दिनांक 16/5/12

विषय: RTGS System के द्वारा एक ही का माउंटिंग मद की राशि खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि Your Self Cheque No 30364 Dt 03.05.12 रुपये 712,800/- (शब्द में) सात लाख चार हजार आठ सौ मात्र) के साथ संलग्न एडवाइस खाता संख्या एवं आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड के साथ विधालय का नाम अंकित है । एडवाइस की अनुरूप राशि हस्तांतरित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

  
16-05-12  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी  
लेखा योजना, मधेपुरा।



BIHAR SHIKSHA PRAYOG ANA MADHEPURA  
BALIDI MANDEH

49

S.N.	BLOCK	SCHOOL	BANK OF NAME	IFSC CODE	A/C NO	HON.	HEALTH KIT	PLAY KIT	OTHER	TOT
1	ALAMNAGAR	NPS KAPSIYA VASA	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325866104	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
2	ALAMNAGAR	PS BHAWANIPUR KHAPUR	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325866331	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
3	ALAMNAGAR	PS SAHPUR TOLA	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325866794	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
4	ALAMNAGAR	MS KODRA GHAT	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325853048	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
5	ALAMNAGAR	PS NARAYANPUR VASA	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325866239	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
6	ALAMNAGAR	NPS CHODLI VASA	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325866606	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
7	ALAMNAGAR	NPS KAPSIYA VASA	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325866104	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
8	ALAMNAGAR	PS NAGCHIYA VASA	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325853037	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
9	ALAMNAGAR	NPS PACHVIRA VASA	CBI ALAMNAGAR	CBIN0283034	2325866080	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
10	KUMARKHAND	M.S.RAMPATTI	CBI BELARI	CBIN0282945	2344669953	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
11	KUMARKHAND	M.S.HARIRAH	CBI BELARI	CBIN0282945	3112875545	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
12	KUMARKHAND	P.S.UDAPARHARI	CBI BELARI	CBIN0282945	2344670833	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
13	KUMARKHAND	U.P.S.RANIPATTI	CBI BELARI	CBIN0282945	2344670684	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
14	KUMARKHAND	P.S.ESSRAIN KURDH	CBI ESSRAINE PURB	CBILN0282884	2379209633	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
15	KUMARKHAND	P.S.PATRANA	CBI TIKULIYA	CBIN0282452	2364538462	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
16	KUMARKHAND	P.S.BISANPUR BAZAR	CBI TIKULIYA	CBIN0282452	2364538462	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
17	KUMARKHAND	P.S.TIKULIYA HARIJAN	CBI TIKULIYA	CBIN0282452	2364538393	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
18	KUMARKHAND	URDU PS JORABGAJ	CBI ISRAINKALA	CBILN0282384	2379271849	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
19	KUMARKHAND	P.S.GANGRAHI	CBI BELARI	CBIN0282945	2344670945	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
20	KUMARKHAND	M.S.RANIPATTI	CBI BELARI	CBIN0282945	2344670639	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
21	GHELARRH	U.P.S.HARIRAH	SBI SUKHUWA	SBIN0008242	1170080716	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
22	ALAMNAGAR	MS.RATWARA	SBI ADB ALAMNAGAR	SBIN0003571	31227335258	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
23	ALAMNAGAR	PS.SUKHAR	SBI ADB ALAMNAGAR	SBIN0003571	11755507769	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
24	ALAMNAGAR	PS.RAMNAGAR KHAWAM	SBI ADB ALAMNAGAR	SBIN0003571	11755507850	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
25	GHELARRH	P.S.VASUDEVA	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645359	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
26	GHELARRH	P.S.PATRANA P.	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645377	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
27	GHELARRH	M.S.BARDAHA GAUTH	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645358	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
28	GHELARRH	P.S.BARDAHA	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645314	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
29	GHELARRH	P.S.HARIJAN PARMANPUR	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645303	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
30	GHELARRH	P.S.HARIYA	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645290	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
31	GHELARRH	A.P.S.PARMANPUR	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645346	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
32	GHELARRH	P.S.GHOPA	SBI BHARDAHA	SBIN0008531	11844645372	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
33	GHELARRH	P.S.ENORWA	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772883	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
34	GHELARRH	M.S.GHELARRH	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772781	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
35	GHELARRH	P.S.KAMALPUR	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772895	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
36	GHELARRH	P.S.BAILUKHARI	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772838	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
37	GHELARRH	P.S.MEHTA TOLA KAMALPURA	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772816	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
38	GHELARRH	K.P.S.SHIRINAGAR	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772850	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
39	GHELARRH	P.S.PATRANA PURB	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772872	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
40	GHELARRH	P.S.MOHUA PATTRAHA	SBI GHELADH	SBIN0009242	11853772861	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320
41	GHELARRH	M.S.JHITKIYA	SBI GHELADH	SBIN0009242	11844646066	12000.00	500.00	500.00	200.00	1320



50

BHARASHIKSHAKARVONNA MADHEPURA  
BALDI MANDHE

S.N	BLOCK	SCHOOL	BANK OF NAME	IFSC CODE	A/C NO	HON.	HEALTH KIT	PLAY KIT	OTHER	TOTAL
42	GHELARH	P.S CHITTI	SBI GHELADH	SBI N 0004242	11853772849	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
43	GHELARH	M.S PARMANPUR	SBI BHARDAHA	SBI N 0008631	11844645392	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
44	KUMARKHAND	M.S KARWELI	SBI MURUGANJ	SBI N 0002979	11634671387	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
45	GHELARH	M.S ETHARI	SBI SHUKHASAN	SBI N 0008574	11891873808	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
46	KUMARKHAND	P.S GURIYA HARIJAN	SBI SIKRAHTI	SBI N 0008364	11000500005	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
47	ALAMNAGAR	PS PAREL	SBI ADB ALAMNAGAR	SBI N 0003571	11755607781	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
48	ALAMNAGAR	PS KHAWAN DIYARA	SBI ADB ALAMNAGAR	SBI N 0003571	11755607714	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
49	ALAMNAGAR	PS BHAWARPUR VASA	SBI ADB ALAMNAGAR	SBI N 0003571	11755607770	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
50	ALAMNAGAR	MS BAJRAHA	SBI ALAMNAGAR	SBI N 0003571	30655479889	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
51	SHANKARPUR	P.S CHAPRIYA TOLA RABHIR	SBI LALPUR	SBI N 0008159	11830334641	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
52	SHANKARPUR	P.S KAJRA HINDI	SBI LALPUR	SBI N 0008159	11296931485	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
53	SHANKARPUR	P.S BALUVA	SBI LALPUR	SBI N 0008159	11296934710	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
54	SHANKARPUR	P.S NISHIHARPUR	SBI MADHEPURA	SBI N 0008159	11296931495	12000.00	500.00	500.00	200.00	13200
					TOTAL	648000.00	27000.00	27000.00	10800.00	712800

km

Signature

Signature

Accounts Officer  
BEP, SSA, MADHEPURA

District Programme Officer  
Accounts & Planning  
Madhepura



(30)  
(51)

**अभिलेख-7**  
\*\*\*\*\*

पत्रांक-ई.सो.ई.एस.सो.एस.टो./23/06 पार्ट 3/.....  
सेवा में, दिनांक-

श्रीमता शिल्पा नकापारो  
समीक्षिते।

वित्तीय वर्ष 2012-13 का ग्रेट प्राप्त होने के उपरान्त मार्ग-  
दर्शिका प्रेषित करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि 67 को कार्यकारिणों के अनुमोदन  
संव खण्ड 2012-13 में किए गए राशि को स्वोक्तित के अनुस्य मार्गदर्शिका  
आपको प्रेषित की जा रही है, बाल वर्ग दोनो को 3000/-रुतोन हजार  
स्वये। प्रतिमाह को दर से स्वोक्त खण्ड के अंदर अनुमान किया जाना है।  
मार्गदर्शिका संलग्न है।

खण्ड 2012-13 में ई.सो.पो.सो. को 3500/-रुतोन हजार रांप  
तो स्वये। प्रतिमाह को दर से मान्देय का अनुमान मिले के प्रबंधन मद से उस  
अधीन तक हो करेगे। मिल अधीन तक बातवर्ग दोनो - को करेगे। दिनांक-  
26.06.12 को आयोजित शिल्पा नकापार अंगान प्रभासियों को बैठक को  
कार्यवाही भी आपको प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक: - मार्ग दर्शिका को प्रति  
26.06.12 के बैठक को कार्यवाही

विशवातभाजन  
EU/अस्प. ट  
पुराहुल सिंह  
राज्य परियोजना निदेशक

31

52

2.

**का मार्गदर्शिका 2012-13**

\*\*\*\*\*

**बालवर्ग दोदो**

मान्देय -140 बालवर्ग दोदो \*300 /-तोन हजार \*0 प्रतिमाह \*8 माह  
33,60,000/-

{तोन लाख बाठ हजार}

दो फोट -140 बालवर्ग केन्द्र \*1000/-

{एक हजार \*0/-

1,40,000/-

{एक लाख चालीस हजार}

\*0 35,00,000/-

{तीस लाख}

**ए.एस.आर.जो.**

मान्देय -0 7ए.एस.आर.जो. \*3500/-तोन हजार पांच सौ रुपये  
प्रतिमाह \*8 माह

बजट 2012-13 में ए.एस.आर.जो. को 3500/-तोन हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह की दर से मान्देय का अनुमान हमले के प्रबंधन मद से उत अधीन तक ही करेंगे जिस अधीन तक बालवर्ग दोदो को करेंगे।

बालवर्ग दोदो एवं ए.एस.आर.जो. का मान्देय का अनुमान वित्तीय वर्ष 2012-13 {अर्थात् 01 अप्रैल 2012} से किया जाना है।

32

53

न्यायार संभाग के जिला प्रभारियों को डेक को कार्यवाही

दिनांक- 26.06.12 को न्यायार संभाग के जिला प्रभारियों को समीक्षा समीक्षात्मक डेक समय राज्य कार्यालय के मु-रतल स्थित सभाकक्ष में प्रारंभ हुई, जिसमें 36 जिलों के संभाग प्रभारियों ने भाग लिया सूची संलग्न। उक्त डेक में अतिरिक्त कार्यक्रम पदाधिकारियों एम.आई.एल.एम.आर.ई.ए. ने भी भाग लिया डेक में धर्मा के उपरांत निर्मांकित निम्न लिये गये: -

सर्वप्रथम सभी जिलों से एल.सी.एल.टी., माईनोरोटी का रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ फोटोग्राफ आदि संकलित किया गया। बालवर्ग एवं अग्निबाड़ी से संबंधित रिपोर्ट को हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की गई जिलों 17 जिलों द्वारा सॉफ्टकॉपी प्राप्त हुआ तथा शेष जिलों के द्वारा आवश्यकत किया गया कि दो-चार दिनों में समीक्षा कर सी.डी. में उपलब्ध करा दिया जायगा। कार्यक्रम पदाधिकारों न्यायार ने एल.सी.एल.टी., माईनोरोटी से संबंधित विस्तार वर्ष 2011-12 में चलाये गए कार्यक्रमों को जिलावार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि लगभग सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित किए हैं कुछ ही जिलों/जिले यथा अजमेर, मेरुवा, दरभंगा-नालंदा, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, पठ चम्पारण, गवा (माईन) एवं सिवान द्वारा काल्पय कारणों से कार्यक्रम संचालित नहीं किया जा सका, जबकि पूर्व के डेकों में जिलों द्वारा कार्यक्रम संचालन किए जाने की जानकारी दी जाती रही थी।

33  
34

4.

पूर्व बालपन शिक्षा [ई.सी.ई.] के संबंध में एन.टी के दौरान पी.ए.एस. के  
निर्देशा/विचार पर कार्यक्रम प्रशाधिकारी सम.आई.एत. में विस्तृत रूप से  
पर्या को। इन्होंने बताया कि एक ही पोषक क्षेत्र में अंगनवाड़ी केन्द्र एवं कार्यक्रम  
बालपन केन्द्र एक साथ नहीं चल सकते। इस संबंध में पी.ए.बी. को कायवाही  
में स्पष्ट है उक्त है कि "The state is advised to  
undertake an assessment of the centres running in the  
habitations with ICDS centres and ensure integration  
of children in the ECCE centres in ICDS

35  
55

5.

सेन्टर्स इन दीज हेबीटेबानस में संघालित बालवर्ग केन्द्र को धरणाद्ध तरीके से  
फैल हाऊट किया जाना आवश्यक हो गया है।

सभी जिलों के समाचार विभाग प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि अपने  
जिले में संघालित सभी बालवर्ग केन्द्रों से संबंधित विवरणों तैयार की जाय  
जिसमें विधालय का नाम, टोला/ वसाय, गांव, नामांकित बच्चों की संख्या  
एवं इस बालवर्ग केन्द्र को के निकटतम संघालित आंगनबाड़ी केन्द्र अथवा विधालय  
परिस्तर में संघालित आंगनबाड़ी केन्द्र इत्यादि उल्लेखित हो। साथ ही यह  
निर्देश दिया गया कि जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिले  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/सर्व शिक्षा अभियान एवं प्राथमिक शिक्षा को  
भी इससे अवगत कराये। तत्पश्चात् निरन्तर निर्णय हेतु इसे जिला कार्यकारिणी  
समिति के समक्ष भी रखी जाय।

कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिले के वस्तु स्थिति के अनुसंधान कारणों से  
बालवर्ग केन्द्रों को बंद करने की चर्चा की, परंतु सभी जिला समिति बनारिया  
द्वारा इस केन्द्रों को निर्धारित तिथि से एक साथ बंद करने पर सहमति बनी,  
ताकि इसमें एकस्यता बनी रहे।

उल्लेखनीय है कि बालवर्ग केन्द्रों का परीक्षण, अनुसंधान एवं अनुसंधान हेतु प्रत्येक  
जिलों में ए.एस.आर.जो. होते हैं। ए.एस.आर.जो. को सेवा बालवर्ग केन्द्र  
संघालित होने की तिथि तथा हो ली जाय।

इस संबंध में यह भी सहमति बनी कि समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार को

56 (35)

8.

शासवर्ग केन्द्रों को सुधो प्रेषित करते हुए सुधना प्राप्त की जाय कि शासवर्ग केन्द्रों का पोषक क्षेत्र अंगुवाड़ी से आच्छादित है या नहीं।  
तथ्यवाय केन्द्र को कार्यवाही समाप्त की गई।

ह/अस्य ८

11-7-12

कार्यक्रम पदाधिकारी

Amesure - 8

60 57

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद,  
शिक्षा भवन, राष्ट्रभाषा परिसर, सैदपुर  
राजेन्द्र नगर, पटना-800004



Bihar Education Project Council,  
Shiksha Bhawan, Rashtrabhasha  
Saidpur, Rajendra nagar, patna-04

पत्रांक—ECE/SC-ST/23/08/Part II/

4786

दिनांक— 19/9/2012

सेवा में,

जिला शिक्षा पदाधिकारी  
सभी जिले।

विषय—

नयाधार गतिविधि के तहत संचालित बालवर्ग केन्द्रों को बंद करने के संबंध में  
आवश्यक दिशा निर्देश।

प्रसंग—

इस कार्यालय के पत्रांक 3397 दिनांक 12.07.12, पत्रांक 4078 दिनांक 17.08.12 एवं  
पत्रांक 4214 दिनांक 24.08.12

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विद्यालय के परिवेश में 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए वर्ष 2012-13 के लिए दिल्ली में हुई PAB (Project Approval Board) की बैठक में निर्णय लिया गया है कि I.C.D.S के अन्तर्गत बिहार में आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं, ऐसे में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा अलग से 3-6 आयु वर्ग के बच्चों हेतु बालवर्ग केन्द्र संचालित नहीं हों। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए प्रत्येक जिले को ECE मद में मात्र 35,00,000/- (पैंतीस लाख) की राशि प्रावधानित है, इसके तहत 01 अप्रैल 2012 से नवम्बर 2012 तक ही बालवर्ग दीदी के मानदेय का भुगतान किया जाना है। उक्त के आलोक में निम्न निदेश दिया जाता है—

- 01 दिसम्बर 2012 से कोई भी बालवर्ग केन्द्र संचालित नहीं होंगे।
- 01 दिसम्बर 2012 से कोई भी बालवर्ग दीदी एवं ASRG कार्यरत नहीं रहेगी।
- दिसम्बर 2012 तक सभी कार्यरत बालवर्ग दीदी एवं ASRG का बकाया मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।
- संचालित बालवर्ग केन्द्र के सभी बच्चों का नामांकन निकटतम/पोषक क्षेत्र/टोला/कस्बा के आंगनवाड़ी केन्द्र में कराना सुनिश्चित किया जाय।
- 06 वर्ष वाले बच्चों का नामांकन निकटतम विद्यालय में कराना सुनिश्चित किया जाय।
- यदि कोई बालवर्ग केन्द्र आंगनवाड़ी केन्द्र से आच्छादित नहीं है तो इसके आच्छादन हेतु स्वयं सम्बन्धित विभागों से सम्पर्क कर आच्छादन की विधा में कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।
- पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर सभी संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति को सूचित करना सुनिश्चित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


(राहुल सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक

पत्रांक 718 दिनांक 11/10/12

विलिपि :- प्रत्येक जिला शिक्षा पदाधिकारी चौलाड, शंकरपुर, कुमराचौर तथा  
अजलमनगर, संखेंद्वारा सभी प्र.अ., संबंधित सभी वि.शि.अ.  
के सदस्य तथा सभी बालवर्ग ASRG का सूचानार्थ एवं आवश्यक  
कार्रवाई प्रेषित।

जिला कार्यप्रमुख पदाधिकारी  
प्र-शि. तथा सर्व शिक्षा अभियान  
मन्चेपुरा।



सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें



39 58  
61

Annexure - 9

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक (बेली रोड हॉल्ट के नजदीक)

पटना - 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक- 62

दिनांक...25/09/2012

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,

बिहार, पटना।

विषय:- बाल वर्ग दीदी संघ द्वारा 25 सितम्बर 2012 से अनिश्चित कालीन आमरण अनशन करने की सुचना के संबंध में।

महाशय,

सविनय कहना है कि बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ अपने सदस्यों की सेवा स्थायी करने समेत संलग्न माँग पत्र के आलोक में सरकार से लगातार पत्राचार ज्ञापन एवं शिष्टमंडल वार्ता लोकतांत्रिक के माध्यम से अवगत कराते रहे है। परन्तु कोई ठोस फलाफल नहीं हुआ है। बल्कि सेवा सुविधा मिलने के वजाय सेवा से हटाये जाने जैसी माननीय शिक्षामंत्री की बयान बाजी का कोपभाजन बन रही है। विभागीय पदाधिकारी उस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। इस हेतु राज्स संघ अपने माँगों की पूर्ति हेतु जिला पदाधिकारी के माध्यम से 06 सितम्बर को माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। परन्तु नतीजा सामने नहीं आया। जिस

५०  
६८  
५९

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईघक (बेली रोड हॉल्ट के नजदीक)

पटना - 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक-

दिनांक.....

कारण संघ राज्य व्यापी आन्दोलन करने को बाध्य है। 24 सितम्बर 2012 तक सरकार राज्य के बाल वर्ग दीदी एवं ASRG की माँगों को पुरा नहीं करेगी तो 25 सितम्बर 2012 को राज्य संघ प्रदर्शन कर माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अनिश्चित कालीन आमरण अनशन पर बैठ जायेगी। जिसकी सारी जबाबदेही सरकार की होगी।

अतः सादर अनुरोध है कि ससमय संलग्न माँग पत्र पुर्ण करने की कृपा प्रदान की जाय।

कार्यक्रम:-

25 सितम्बर 2012 को 12.30 बजे दिन में गाँधी मैदान पटना से प्रदर्शन निकल कर मुख्यमंत्री के समक्ष अनिश्चित कालीन आमरण अनशन करेगी।

विश्वासभाजन

रेखा कुमारी

प्रतिलिपि :- माननीय शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार, पटना/प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग/निदेशक प्राथमिक शिक्षा/निदेशक बिहार शिक्षा परियोजना/जिला पुलिस नियंत्रक, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/ वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/ महासचिव महासंघ गोपगुट को सूचना समर्पित।

60

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक ( बेली रोड हॉल्ट के नजदीक )

पटना - 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक-

दिनांक.....

## मॉग-पत्र

1. बाल वर्ग एवं A.S.R.G. की सेवा स्थायी की जाय।
2. मानदेय की बढ़ोत्तरी कर सम्मानजनक वेतन दी जाय।
3. आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश एवं मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाय।
4. सेवा विस्तार की अवधि को बढ़ाया जाय।
5. मासिक भुगतान नियमित एवं बैंक खाते के द्वारा की जाय।
6. बाल वर्ग के बच्चों को भी पोषाहार दी जाय।
7. बाल वर्ग की दीदी की सेवा कालीन प्रशिक्षण दी जाय।

रेखा कुमारी  
(रेखा कुमारी)

प्रदेश अध्यक्ष

बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

### CONFIRMATION REPORT

FAX NO. / NAME : 06122667190  
PAGE(S) : 3  
START TIME : 20-09-17:52  
ELAPSED TIME : 01:54  
MODE : STANDARD  
RESULTS : OK

20-09-2018 17:53  
FAX NUMBER :  
NAME :

0004  
11/09/18/18

~~Announcement - 9/a~~ (64) (42) (61)

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक (बेली रोड हॉल्ट के नजदीक)

पटना - 800023

**रेखा कुमारी**

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (0)

पत्रांक- 62

दिनांक. 26.09.2012...

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

बिहार सरकार, पटना।

विषय :- बाल वर्ग दीदी एवं ए०एस०आर०जी० के मांग पत्र का संलेख समर्पण के सम्बंध में।

महाशय,

सविनय कहना है कि राज्य के 03 से 06 वर्ष के बच्चों को विद्यालय जाने एवं ठहराव करने का कार्य बाल वर्ग दीदी विगत 9 वर्षों से करती चली आ रही है। इस कार्य का देखरेख एवं नियमानुकूल दिशा निर्देश ए०एस०आर०जी० अतल कर रही है। जिस कारण राज्य के प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों का विद्यालय से वंचित रहना कम हो गया है। बच्चों का मौलिक अधिकार शिक्षा एवं शिक्षा के अधिकार कानून को पूर्ण सफलता से करने की प्रारंभिक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने वाली महिला कर्मियों के सेवा एवं सुविधा मानवीय जीवन यापन मूल्य से कम है। यहां तक कि सेवा अस्थायी होना भी मनोबल को कमजोर करता है। इस हेतु संघ लगातार सरकार से सेवा स्थायी करने एवं राज्य कर्मियों की भांति सुविधा हेतु ज्ञापन, मांग पत्र, शिष्टमंडल वार्ता तथा

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक (बेली रोड हॉल के नजदीक)

पटना - 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक-

2

दिनांक.....

लोकतांत्रिक माध्यम से करती रही है। परन्तु आश्वासन मिला कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। दूसरे तरफ सेवा समाप्ति की अफवाह फैलाकर भयभीत की जाती है। जिससे कार्य कुशलता प्रभावी होने का संभावना बना रहता है। इस हेतु बात होकर संघ को संलग्न मांग पत्र को पूर्ति हेतु राज्य संघ सफलत वार्ता करने को तैयार है।

अतः श्रीमान् से सादर अनुरोध है कि उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए बाल वर्ग दीदी एवं ए०एस०आर०जी० का सेवा स्थायी कर राज्य कर्मों की भांति तमाम सुविधा देने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

रेखा कुमारी

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/o महासंघ गोपगुट, पुनाईचक (बेली रोड हॉल्ट के नजदीक)

पटना - 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फोन : 0612-2204236 (O)

पत्रांक-

दिनांक.....

## मुख्य मांग पत्र

1. बाल वर्ग दीदी एवं A.S.R.G. की सेवा स्थायी की जाय।
2. मानदेय की बढ़ोतरी कर सम्मानजनक वेतन दी जाय।
3. आकस्मिक अवकाश, विशेषावकाश एवं मातृत्व अवकाश की सुविधा दी जाय।
4. सेवा विस्तार की अवधि बढ़ाई जाय।
5. मासिक भुगतान नियमित एवं बैंक खाते के द्वारा की जाय।
6. बाल वर्ग के बच्चों को भी पोषाहार दी जाय।
7. बाल वर्ग की दीदी की सेवाकालीन प्रशिक्षण दी जाय।

रेखा कुमारी

(रेखा कुमारी)

प्रदेश अध्यक्ष

बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

# बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

महासंघ गोपगुट से सम्बद्धता

कार्यालय : C/O महासंघ गोपगुट, पुनाईघाट (बेली रोड हॉल के समीप)

पटना 800023

रेखा कुमारी

प्रदेश अध्यक्ष

मो० : 7549898999

9939724449

फ़ोन 0612-2204236 (O)

सेवा में,

श्रीमान् माननीय मुख्यमंत्री महोदय,  
बिहार सरकार।

विषय:- बाल वर्ग दीदी की सेवा विस्तार कर स्थायी करने के संबंध में या बाल दीदी को समायोजन करने के संबंध में।

महाशय,

- सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार राज्य के विभिन्न जिलों में प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में 2003 से कार्यरत बाल दीदी जो 3 से 6 वर्ष के बच्चों को खेल के माध्यम से शिक्षा का बोध कराकर विद्यालय में नामंकन कराने का कार्य बाल दीदी करती आ रही है। उक्त सेवा को शिक्षा मंत्री द्वारा नवम्बर 2012 तक में खत्म कर रही है। जिससे बाल वर्ग दीदी की भविष्य अंधकारमय हो रही है। बाल दीदी को समायोजन कर उनके भविष्य को उज्ज्वल करने की कृपा की जाय।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि बाल दीदी का सेवा विस्तार कर स्थायी की जाय या समायोजन किया जाय।

निवेदक

बिहार राज्य बाल वर्ग दीदी संघ

रीना कुमारी, प्रचेपुरा

मीना कुमारी, जयपुरा

प्रभा कुमारी, जयपुरा

8/10  
15.10.12  
मुख्य मंत्री सचिवालय  
बिहार, पटना

M No -  
95 70851830